(11)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 117 / 2011 दायर दिनांक: 29.07.2011

उनवान

1. नानूबाई बेवा लालू पुत्री छीतरलाल जाति मेघवाल नि. रसूलपुरा तहसील पिड़ावा

— वादी

बनाम

1. रामा पि. मांगीलाल जाति मेघवाल नि. रसूलपुरा तहसील पिड़ावा
2. नरवर पि. मांगीलात जाति मेघवाल नि. रसूलपुरा तहसील पिडावा
3. हरिसिंह पि. भवानीसिंह जाति राजपूत नि. रसूलपुरा तहसील पिड़ावा
4. पूरसिंह पि. हरिसिंह जाति राजपूत नि. रसूलपुरा तहसील पिड़ावा
5. दुल्हेसिंह पि.भगवानसिंह जाति राजपूत नि. रसूलपुरा तहसील पिड़ावा
6. गोकुलसिंह पि. दुल्हेसिंह जाति राजपूत नि. रसूलपुरा तहसील पिड़ावा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तहसील पिडावा

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति —
वकील वादीगण — श्री मसूद अहमद खान
वकील प्रतिवादी सं. 1 — श्री विनोद जैन
प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 6 — एकतरफा

निर्णय **दिनांक : 01.05.2025**

पत्रावली माननीय न्यायालय भू.प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपीलीय प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 28.06.2011 की पालना में पुनः पेश हुई। अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि नकल जमाबन्दी ग्राम रसूलपुरा पटवार क्षेत्र रामपुरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पिड़ावा तहसील पिड़ावा सम्वत 2058—2061 के अनुसार जमाबंदी सं. नई 149 पुरानी 137 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 568 रख्या 6 बीघा 15 बिस्या आराजीवा दिया के गैरखातेदारी में दर्ज है। यह कि उक्त आराजी वादिया के [illegible] आवंटन हुई थी उसके पिता की मृत्यु के उपरान्त [illegible] में यह जमीन वादिया व उसकी माँ देवबाई के नाम [illegible] हुई इसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

12

उपरान्त वादिया की माँ के देवबाई के मरने के उपरान्त नामान्तकरण नम्बर 307 में उक्त खाते में देवबाई का नाम कम कर दिया गया वर्तमान में उक्त आराजी वादिया के ही खाते में दर्ज है। चूंकि उक्त आराजी को आवंटन हुए निर्धारित 10 साल से अधिक हो गये है इसलिए वादिया उक्त आराजी को गैरखातेदारी से खातेदारी में घोषित कराने की कानूनन पात्र है। यह कि प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 गैर कानूनी रूप से जबरन वादिया के खाते कब्जे काश्त की उक्त आराजी पर कब्जा कर जमीन को हड़पने में प्रयासरत है जिसका कि उन्हें कोई कानूनी अधिकार हांसिल नहीं है। इसलिए उनके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना अति आवश्यक है अन्यथा वादिया को अपरिमित क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा व द्रव्य में संभव नहीं हो पायेगा। यह कि वाद कारण दिनांक 20.05.03 को उस वक्त उदित हुआ जब प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 ने धमकी दी कि हम तो तेरी गैरखातेदारी की जमीन पर जबरन कब्जा करके रहेंगे। यह कि वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार में उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है। अतः वाद बहक वादिया खिलाफ प्रतिवादीगण इस कदर डिक्री फरमाया जावे किः–

(ए) वाद पत्र के पैरा नम्बर 1 मैं वर्णित आराजी में वादिया का नाम गैरखातेदारी से खातेवार टीनेन्ट के रूप में जोड़ा जावे।

(बी) वाद पत्र के पैरा नम्बर 1 मैं वर्णित आराजी पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 को बेजा मदाखलत व मजाहमत करने, खुर्द बुर्द करने से रोकने बाबत उनके विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। अन्य न्यायोचित सहायता व हर्जा खर्चा वादिया को दिलाया जावे।

2. प्रकरण माननीय न्यायालय भू.प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपीलीय प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 28.06.2011 की पालना में पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन/सूचना पत्र की गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि पेरा नम्बर 1 स्वीकार है। यह कि पेरा नम्बर 2 में दर्ज तथ्य कि वादिया के पिता को उक्त आराजी आवंटित हुयी थी, उनकी मृत्यु के बाद उक्त आराजी वादीया के नाम आयी उक्त तथ्य स्वीकार है लेकिन पेरा में यह तथ्य कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

वादीया उक्त आराजी को अपने खातेदारी की भूमि घोषित कराने की पात्र हो गलत है। अस्वीकार है क्योकि उक्त आराजी वादीया के कब्जे में नहीं है। यह कि पेरा नम्बर 3 गलत है अस्वीकार है क्योकि उक्त आराजी पर प्रतिवादी नम्बर 1 का कब्जा वादिया के पिता छीतरजी के जीवनकान से चला आ रहा है एवं आज भी उक्त आराजी पर प्रतिवादी नम्बर 1 का कब्जा काश्त चला जा रहा है। इसलिये प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। विशेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज किया जावेगा। यह कि मेरा नम्बर 4 से वाद का कारण पैदा होना गलत है। यह कि पेरा नम्बर 5 गलत है और अस्वीकार है। यह कि वादीया कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकती है एवं उसका दावा मय खर्चा खारिज होने योग्य है। **विशेष आपत्तियाँ** में निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजी वादिया के पिता छीतर उर्फ सीता का गुलाब चमार को ऐलाट हुयी थी लेकिन उनके कोई लड़का नहीं होने की वजह से विवादित आराजी दिनांक 01.02.1968 को अमरा पि. बालूजी जाति चमार निवासी रसूलपुरा के पक्ष मै वसियत कर दी थी एवं उक्त आराजी पर छीतर के जीवनकाल से ही अमरा व उसका दत्तक पुंत्र रामलाल प्रतिवादी नम्बर 1 इस आराजी पर काश्त करते चले आ रहे है। छीतरजी ने इस आराजी को कभी काश्त नहीं की इस समय भी उक्त आराजी पर प्रतिवादी नम्बर 1 की सोयाबीन की फसल खड़ी हुयी है लेकिन उक्त आराजी छीतर के नाम ऐलाट होने से और उनकी मृत्यु के बाद वादिया के नाम बिना किसी तहकीकात के दर्ज कर देने से वादिया ने यह झुंठा दावा किया है। प्रतिवादी नम्बर 1 रामा व अमराजी की पुत्रियों ने भी वादिया के विरूद्ध माननीय न्यायायलय में दावा पेश कर रखा है जिसका प्रकरण संख्या 201/2003 है जो जेरकार है। यह कि प्रतिवादी नम्बर 1 व अमराजी की लड़कियां अनपढ़ है एवं वह कानूनी पेचिदगीयों में नही समझते है लेकिन उक्त आराजी पर उनका कब्जा गत 25 साल से लगातार बिना किसी बाधा के सबके ज्ञान से व वादीया के ज्ञान में आज तक लगातार चला जा रहा है। इसलिये उनका उक्त आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार [illegible] गया है एवं वादिया का कोई हक एवं अधिकार [illegible] देहरिया तहसील सुसनेर मध्यप्रदेश में रहती [illegible] के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(15)

5. वादीया द्वारा वाद पत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में नानूबाई पि. छीतरलाल PW-1 के बयान कराये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम रसूलपुरा के खाता सं. 149 की जमाबंदी सं. 2058–61 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1, ग्राम रसूलपुरा का नामा सं. 209 दिनांक 11.06.1972 की छायाप्रति पेश की एवं न्यायिक दृष्टांत 2008(2) आर.आर.टी. 1117 एवं रामगोपाल बनाम भेरू आर. आर.डी. 1990 पेश की।

6. प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने जवाब के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में रामा पि. अमरा, करणसिंह पि. रामलाल, पूरीलाल पि. रत्ता, पूरसिंह पि. दुलेसिंह,रामसिंह पि. बापूलाल DW-1 To DW-5 के बयान कराये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में जिला कलक्टर महोदय झालावाड को पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 20.03.2003, पटवारी हल्का की मौका व जांच रिपोर्ट दिनांक 17.04. 2003, मौका रिपोर्ट दिनांक 17.04.2003 पेश की।

7. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है –तनकी नं. 1 – "आया वादिया वादग्रस्त आराजी की खातेदार टिनेन्ट घोषित होने की अधिकारीनी है"। तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादीया के जिम्मे था। अभिभाषक वादीया ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रसूलपुरा हल्का रामपुरिया तहसील पिडावा की वादग्रस्त आराजी हाल ख.नं. 568 रकबा 6–15 बीघा वादीया के पिता छीतर पि. गुलाब कोम चमार को उपखण्ड स्तरीय आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन की जाकर गैर खातेदारी दर्ज की गई थी। छीतरलाल की मृत्यु के बाद राजस्व शिविर रामपुरिया में जरिये फोती नामा.सं. 109 दिनांक 11.06.1992 से नानूबाई पुत्री छीतर देउबाई बेवा छीतर की गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी। नामान्तरण दर्ज करते समय प्रतिवादीगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष फर्जी वसीयत पेश की गई थी जिसे तहसीलदार न्यायालय द्वारा संदेहप्रद बताते हुए खारीज कर दिया गया था। उक्त कथन का अंकन नामान्तरण पंजिका पुश्त भाग पर अंकित है। इस दौरान वादग्रस्त आराजी पर वादीया व माता देउबाई का कब्जा काश्त रहा था। वादीया की मां देउबाई की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी को राजस्व कार्मिको द्वारा जांच पड़ताल के बाद जरिये फोती नामा.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

सं. 307 दिनांक 01.12.2001 वादीया नानूबाई पुत्री छीतर के खाते दर्ज हुई थी। इसके बाद वादग्रस्त आराजी पर 10 वर्षो से अधिक समय तक वादीया कब्जे काश्त चली आ रही थी लेंकिन वादीया द्वारा अपने ससुराल से फसल काश्त हेतु बार बार आने जाने में समस्या होने पर प्रतिवादीगण को मुनाफा काश्त पर दी गई थी। प्रतिवादी सं. 1 ने कुछ समय बाद मुनाफा काश्त देने से मना किया और भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तो वादीया द्वारा वर्ष 2003 में यह वाद सं. 125/2003 पेश किया गया था। अभिभाषक वादीया द्वारा आगे कथन किया गया कि प्रतिवादी सं. 1 रामा द्वारा अपने जवाब दावे में वादीया के पिता छीतरलाल द्वारा 1988 में अमरा पि. बालू के पक्ष में वसीयत करना सरकार झूंठा एवं सारहीन है क्योंकि किसी भी गैर खातेदार को गैर खातेदारी की आराजी का बेचान, दान, वसीयत आदि अंतरण का कोई हक या अधिकार नहीं होता है। अतः गैर खातेदार वादीया को वादग्रस्त आराजी पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त बहस का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि वादीया के पिता छीतरलाल चमार के कोई पुत्र नहीं होने एवं वादीया ससुराल चले जाने से छीतरलाल की देखभाल प्रतिवादी सं. 1 के दत्तक पिता अमरा पि. बालू द्वारा करने से उनके पक्ष में दिनांक 01.02.1988 को वसीयत कर दीं गई थी और इसलिए छीतर के जीवनकाल से ही प्रतिवादी सं. 1 का दत्तक पिता अमरा वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्तरत रहा था। अमरा की मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र प्रतिवादी सं. 1 रामा का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीया एवं वादीया की मां देउबाई का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 ने आगे कथन किया कि प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एक अन्य दावा अन्तर्गत धारा 183 बी न्यायालय तहसीलदार पिडावा के समक्ष पेश किया था जिसे खारीज कर दिया गया था। वादीया पीडब्ल्यू 1 ने अपने सशपथ बयान में पेज नं. 3 पर स्वयं स्वीकार किया है कि गत 29 साल से वादग्रस्त आराजी पर रामलाल का कब्जा है एव इस साल भी रामलाल ने सोयाबीन की फसल बो रखी है। प्रतिवादी सं. 1 के [illegible] ने वादग्रस्त आराजी पर रामा दत्तक पुत्र अमरा का ही [illegible] प्रतिवादी सं. 1 ने आगे तर्क किया है कि ग्राम [illegible] 568

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(17)

के आवंटन आदेश के विरूद्ध तहसीलदार पिडावा द्वारा आवंटन नियम 14(4) के अधीन श्रीमान जिला कलक्टर महोदय झालावाड के न्यायालय में अपील पेश की गई जिसे न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01.05.2013 से स्वीकार किया जाकर वादीया के पिता के पक्ष में किये गये आवंटन को खारीज किया जाकर वादग्रस्त आराजी को पुनः सिवाय चक दर्ज किया जा चुका है। वादग्रस्त आराजी वर्तमान में खाता सरकार दर्ज है। न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड के उक्त आदेश के विरूद्ध वादीया द्वारा सक्षम न्यायालय में कोई अपील पेश नहीं की गई है। अतः वादीया को उक्त सरकारी भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होने से वादीया का वाद खारीज किया जावे।

उभयपक्ष की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा ग्राम रसूलपुरा पटवार हल्का रामपुरिया की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 568 रकबा 6–15 बीघा के उपखण्ड स्तरीय आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वादीया के पिता छीतरलाल पि. गुलाब जाति चमार को किये गये आवंटन आदेश की प्रति पेश नहीं की गई है लेकिन पेश नामा.सं. 209 दिनांक 11.06.1992 के अवलोकन से जाहिर है कि ख.नं. 568 रकबा 6–15 बीघा वादीया के पिता छीतरलाल पि. गुलाब कोम चमार की गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी जो छीतरलाल के फोत होने पर जरिये नामा.सं. 209 से तहसीलदार पिडावा द्वारा उनके वारीसान नानूबाई पि. छीतर व देवबाई बेवा छीतर की गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी। वादग्रस्त आराजी के जमाबंदी सं. 2058–61 के अवलोकन से जाहिर है कि देउबाई बेवा छीतर के फोत होने से सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी जरिये नामा.सं. 307 दिनांक 01.12.2001 से वादीया नानूबाई के गैर खातेदारी दर्ज हुई थी। वादग्रस्त आराजी पर पहले वादीया के पिता छीतरलाल और फिर वादीया के कब्जा काश्त होने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य एवं स्वतंत्र गवाह वादीया द्वारा पेश नहीं किये गये है। वादीया ने अपने सशपथ बयान मिसल नं. 125/2003 दिनांक 16.08.2007 पीडब्ल्यू 1 में स्वयं स्वीकार किया है कि मेरी शादी बचपन में देहरिया म.प्र. में हो गई थी और गौणा के बाद से मैं ... में रहती चली आ रही हूँ। आगे स्वीकार किया कि ... से ... आराजी पर रामलाल का कब्जा है और इस साल ... की फसल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(18)

बो रखी है। प्रतिवादीगण द्वारा पेश गवाहान डीडब्ल्यू 2 करणसिंह ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी को कभी छीतर ने हांकी जोता नहीं है बल्कि अमरा व रामा ने हांकी जोती है। यह बात गलत है कि इस जमीन को नानूबाई ने कभी पांति पर दिया है। गवाहान डीडब्ल्यू 3 पूरीलाल ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि नानूबाई के पिता सीता पहले बोलिया में रहते थे बाद में हमारे ग्राम रसूलपुरा में आ गये थे। वादग्रस्त आराजी पर रामा का कब्जा है। इसी प्रकार डीडब्ल्यू 5 रामसिंह ने जिरह में स्वीकार किया कि यह जमीन रामा के पास अमरा से आयी है। पत्रावली में उपलब्ध पटवारी रामपुरिया की मौका व जांच रिपोर्ट दिनांक 17.04.2003 प्रदर्श ए 2 में भी वादग्रस्त आराजी मौके पर पडत पडी होने और रामलाल पि. मांगीलाल मेघवाल, हरीसिंह व दुलेसिंह पि. भवानीसिंह आदि का कब्जा होना अंकित है। उपलब्ध पत्रावली से वादीया द्वारा न्यायालय तहसीलदार के समक्ष भी कब्जा हेतु अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी.एक्ट का दावा पेश किया जाना और न्यायालय द्वारा इसे खारीज किया जाना भी जाहिर होता है।

यहां प्रतिवादी सं. 7 द्वारा पेश न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड के निर्णय दिनांक 01.05.2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीया के पिता छीतर को वादग्रस्त आराजी ख.नं. 568 रकबा 6–15 बीघा के आवंटन आदेश दिनांक 01.11.1977 की अपील सं. 210/2011 तहसीलदार पिडावा द्वारा अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की गई थी जिसे न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड द्वारा स्वीकार किया जाकर आंवटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने पर (आवंटित आराजी पर वादीया एवं वादीया के पिता का कब्जा काश्त साबित नहीं होने पर) आवंटन आदेश दिनांक 01.11.1977 को निरस्त किया गया और तहसीलदार पिडावा उक्त आराजी राजहक में दर्ज किये जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये गये थे जिसकी पालना में तहसीलदार पिडावा द्वारा नामा.सं. 484 दिनांक 12.08.2013 तस्दीक किया जाकर वादग्रस्त आराजी सिवाय चक खाता सरकार दर्ज रिकार्ड की गई [illegible] 7 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खाता सरकार दर्ज रिकार्ड है। [illegible]दीया द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड के अपील सं. 210/[illegible] में दिये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांक 01.05.2013 की अपील सक्षम न्यायालय में किये जाने का या सक्षम न्यायालय से निर्णय अपास्त होने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है।

वादीया द्वारा हस्तगत प्रकरण में मुख्य अनुतोष वादीया की गैर खातेदारी में दर्ज ख.नं. 568 की खातेदारी दिये जाने का चाहा है लेकिन वादग्रस्त आराजी वर्ष 2013 से वादीया की गैर खातेदारी में दर्ज नहीं होकर प्रतिवादी सं. 7 सरकार की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उपखण्ड स्तरीय भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियम 15 के तहत आवंटित की गई भूमि की गैर खातेदारी दर्ज होने के बाद खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के प्रावधान राजस्थान भू.राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 के अधीन दिये गये है। नियम 18 के अधीन दी गई प्रकिया के तहत ही गैर खातेदार को सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त द्वारा खातेदारी अधिकारी प्रदान किये जाते है। **माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित किया है कि "ऐसे गैर खातेदारों को धारा 88 आर.टी.एक्ट के अधीन खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है"।** नियम 18 व 18 ए के प्रावधान निम्नानुसार है –

Rule 18. Conferment of Khatedari Rights. - (1) The Tehsildar shall suo-moto confer Khatedari rights upon allottees after three years of allotment, provided that the allottee fulfills all the terms and conditions of allotment during this period:

Provided that the person, to whom land was allotted as temporary cultivation lease holder or permanent allottee in colony area and such area was later on excluded from colony area, has continuous possession over the said land prior to 01.01.2001, such person shall be entitled to receive khatedari rights under these rules upto the ceiling limit applicable under the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holding Act, 1973.

(2) deleted by notification 06.11.1998

(3) All persons who were allotted land on lease basis under and in accordance with notification No. F. 6(84) Revenue/VI/53, Dated 2-

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

11-1953 and have been in continuous possession of such land shall be eligible for conferment of Khatedari rights as if such lease holder were allotted land under the provision of these rules.

(4) All persons, who were allotted land prior to dated 29.09.99, had not cultivated 50% of the land in the first year of allotment and the remaining area in the second year and their allotment has not been cancelled, shall be eligible for conferment of khatedari rights if they are cultivating said allotted land for the last three years and fulfils the other terms and conditions of allotment.

Provided that if such land was not within the urbanisable limit or peripheral belt of the urban area as mentioned in Sec. 20[90-A] of the Act at the time of allotment and subsequently included in urbanisable limit or peripheral belt of urban area of Jaipur Development Authority, 21 [Jodhpur Development Authority, Ajmer Development Authority], Urban Improvement Trust or Municipal Corporation or Municipal Council, Khatedari right shall be conferred only with the prior approval of the 22[Collector] and on payment of 20% of market value of land as determined for the area by the District Level Committee and in case of land subsequently included in the urbanisable limit or peripheral belt of Municipal Board, khatedari right shall be conferred only with the prior approval of 23[Collector] and on payment of 10% of market value of land determined for the area by the District Level Committee.

Rule 18-A. Grant of Khatedari Rights in Certain Cases.- Subject to the provision of the Act,the Tehsildar may on his own motion or on application of any person confer: (a) khatedari rights to such person if his name is entered as gair-khatedar in the Jamabandi (Khewat Khatauni) on the basis of allotment made under any rules made under the Act; or (b) khatedari rights to such person if his name is entered as gair- khatedar in the Jamabandi (Khewat Khatauni) as per allotment order under these rules but due

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

to any reason khatedari rights has not been granted, to the extent of ceiling area applicable under the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agriculture Holdings Act,1973 (Act No. 11 of 1973), if – (i) The name of applicant is entered as gair – khatedar in the Jamabandi (Khewat Khatauni) since 1.1.1981 and continuously recorded such; (ii) The applicant has been in continuous possession of such land; (iii) Land is falling in rural areas; (iv) Such land does not fall within the categories specified in rule 4 of these rules; (v) No judicial proceedings are pending with respect to such land; and (vi) Applicant has deposited 10% of the market value of such land calculated at the rate determined by District Level Committee constituted under the Rajasthan Stamp Rules ,2004 for agricultural lands".

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तनकी नं. 1 वादीया के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 2 – "आया वादिया प्रतिवादी सं. 1 से 6 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने की पात्र है"। तनकी नं. 2 को साबित करने का भार जिम्मे वादीया था। तनकी नं. 1 में किये गये विवेचन से यह तथ्य स्पष्ट है कि वादीया वादग्रस्त आराजी की वर्तमान में न तो गैर खातेदार कृषक है और न ही खातेदार टिनेन्ट घोषित होने की अधिकारीनी है। वर्तमान जमाबंदी अनुसार प्रतिवादी सं. 7 सरकार वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। धारा 188 आर.टी.एक्ट के अधीन स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के लिए वादीया का टीनेन्ट होना आवश्यक है। एक टीनेन्ट जिसके खातेदारी अधिकारों का या अपनी जोत के उपयोग एवं उपभोग के अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति या भूधारक द्वारा अतिक्रमित किया गया हो या अतिक्रमित करने की धमकी दी जावे तो ऐसा टीनेन्ट स्थाई निषेधाज्ञा बाबत धारा 188 आर.टी.एक्ट का दावा पेश कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि धारा 188 आर.टी.एक्ट के अधीन स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के लिए वादीया का टीनेन्ट होना आवश्यक है और वादीया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

188 आर.टी.एक्ट के अधीन स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। धारा 188(1) आर.टी.एक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है –

188. Injunction against wrongful ejectment— (1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तनकी नं. 2 वादीया के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 3 – " आया वादिया का कब्जा आराजी मुतदाविया पर नहीं होने से दावा चलने योग्य नहीं है"। तनकी नं. 3 को सावित करने भार प्रतिवादी सं. 1 के जिम्मे था। तनकी नं. 1 में किये गये विवेचन के आधार पर वादीया वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा काश्त साबित नहीं कर पायी है। प्रतिवादीगण द्वारा पेश न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड के निर्णय दिनांक 01.05.2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीया के पिता छीतर को वादग्रस्त आराजी ख.नं. 568 रकबा 6–15 बीघा के आवंटन आदेश दिनांक 01.11.1977 की अपील सं. 210/2011 तहसीलदार पिडावा द्वारा अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की गई थी जिसे न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड द्वारा स्वीकार किया जाकर आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने पर (आवंटित आराजी पर वादीया एवं वादीया के पिता का कब्जा काश्त साबित नहीं होने पर) आवंटन आदेश दिनांक 01.11.1977 को निरस्त किया गया और तहसीलदार पिडावा उक्त आराजी राजहक में दर्ज किये जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये गये थे जिसकी पालना में तहसीलदार पिडावा द्वारा नामा.सं. 484 दिनांक 12.08.2013 तस्दीक किया जाकर वादग्रस्त आराजी सिवाय चक खाता सरकार दर्ज रिकार्ड की गई और वर्तमान जमाबंदी सं. 2074–77 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खाता सरकार दर्ज रिकार्ड है। अतः वादग्रस्त आराजी पर वादीया की गैर खातेदारी के साथ साथ कब्जा काश्त नहीं होने और नियम 18 राजस्थान भू.राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अधीन खातेदारी के प्रावधान उपलब्ध होने से दावा खारीज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तनकी नं. 3 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

8. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम रसूलपुरा की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 568 रकबा 6–15 बीघा भूमि के संबंध में वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर.टी.एक्ट न्यायहित में खारीज किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम रसूलपुरा की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 568 रकबा 6–15 बीघा भूमि के संबंध में वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर.टी.एक्ट खारीज किया जाता है। पर्चा डिकी जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 01.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/5/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(24)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 117 / 2011 दायर दिनांकः 29.07.2011

उनवान

1. नानूबाई बेवा लालू पुत्री छीतरलाल जाति मेघवाल नि. रसूलपुरा तहसील पिडावा

— वादी

बनाम

1. रामा पि. मांगीलाल जाति मेघवाल नि. रसूलपुरा तहसील पिड़ावा
2. नरवर पि. मांगीलात जाति मेघवाल नि. रसूलपुरा तहसील पिड़ावा
3. हरिसिंह पि. भवानीसिंह जाति राजपूत नि. रसूलपुरा तहसील पिड़ावा
4. पूरसिंह पि. हरिसिंह जाति राजपूत नि. रसूलपुरा तहसील पिड़ावा
5. दुल्हेसिंह पि.भगवानसिंह जाति राजपूत नि. रसूलपुरा तहसील पिड़ावा
6. गोकुलसिंह पि. दुल्हेसिंह जाति राजपूत नि. रसूलपुरा तहसील पिड़ावा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तहसील पिडावा

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति —

वकील वादीगण — श्री मसूद अहमद खान

वकील प्रतिवादी सं. 1 — श्री विनोद जैन

प्रतिवादी कम 2 लगायत 6 — एकतरफा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

ग्राम रसूलपुरा की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 568 रकबा 6—15 बीघा भूमि के संबंध में वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर.टी.एक्ट खारीज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:59 IST
Reason: SelfAttested

21/5/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उप खण्ड अधिकारी, पिड़ावा
जिला झालावाड राज0

Scanned with OKEN Scanner

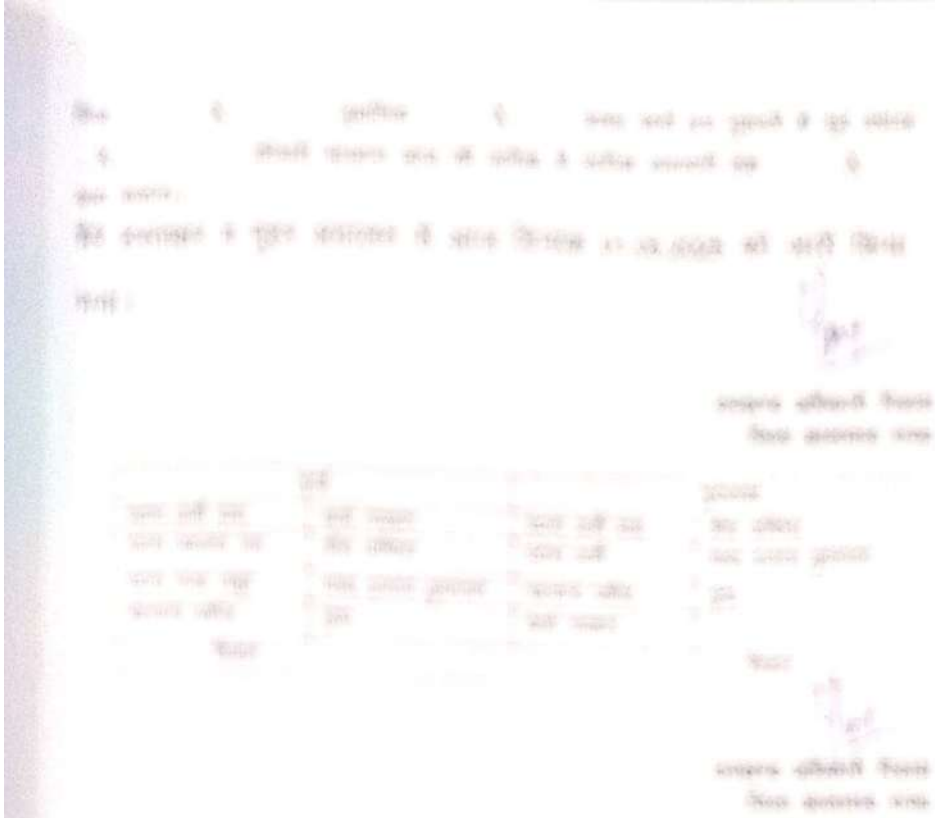

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner